रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2016/चैत्र 3, 1937
No. 732] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2016/CHAITRA 3, 1937

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2016

का. आ. 1202(अ).—जबकि, मैसर्स पाटरन पारेषण कंपनी लिमिटेड, आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय कमरा नं. 409, चौथा तल, स्किपर कार्नर, 88, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019 पर स्थित है, ने 'पाटरन 400 के.वी. सब स्टेशन के लिए पारेषण प्रणाली" के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) पाटरन पर 2x500 एमवीए, 400/220 के.वी. सबस्टेशन का सृजन।

(ii) पाटरन सबस्टेशन पर वर्तमान पटियाला – कैथल 400 के.वी. डी/सी पारेषण लाइन के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ।

और जबकि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 16 मई, 2013 के पत्र संख्या 11/15/2013-पीजी (पीटीसीएल – पी एफ सी) के अनुसार निर्माण कार्यों के निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ "पाटरन 400 केवी सबस्टेशन के लिए पारेषण प्रणाली" के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है:-

(i) पाटरन में 2x500 एमवीए , 400/220 के.वी. सब स्टेशन का सृजन

(ii) पाटरन सब स्टेशन पर वर्तमान पटियाला – कैथल 400 के.वी. डी/सी पारेषण लाइन के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ।

और जबकि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्थापित या रख-रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित या रख-रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनें और खंबे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाईन निम्नलिखित तहसील, तालुका, मंडल, ब्लाक, गांवों, नगर व शहर से उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

पाटरन स्थित पटियाला – कैथल 400 के.वी. डी/सी पारेषण लाइन के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ ।

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला
1	दरोली	पाटरन	पटियाला
पाटरन स्थित 400/200 के.वी. जीआईएस सब स्टेशन			
क्रम सं.	**गांव का नाम**	**तहसील**	**जिला**
1.	दरोली	पाटरन	पटियाला
2.	बनवाला	पाटरन	पटियाला

इसलिए अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो विद्युत के राज्य के भीतर पारेषण हेतु उल्लेखित राज्य के भीतर पारेषण लाइन लगाने के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों हेतु टेलीग्राफ लाइनें लगाने और खंबे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती हैं, अर्थात् -

(i) अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है;

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी;

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाए गए पारेषण, प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम), खुली पहुंच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा;

(iv) आवेदक को निर्माण कार्यों के निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ "पाटरन 400 केवी सब स्टेशन के लिए पारेषण प्रणाली" के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है :-

(i) पाटरन में 2x500 एमवीए, 400/200 के.वी. सब स्टेशन का सृजन

(ii) पाटरन सब स्टेशन पर स्थापित वर्तमान पटियाला – कैथल 400 के.वी. डी/सी पारेषण लाइन के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ ।

निर्माण कार्यों के विवरण भारत के राजपत्र संख्या 44 दिनांक 31 अक्तूबर, 2015 से 06 नवंबर, 2015 में प्रकाशित किए गए हैं ।

(v) आवेदक संबंधित राज्यों/केंद्र सरकार के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा ।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।

(vii) मै. पाटरन ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. को विद्युत निरीक्षण के समय नागर विमानन और रक्षा प्राधिकारियों से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा ।

[फा. सं. 164/एनआर/पाटरन/पीएसपी एण्ड ए-I/2016]

पी.डी. सिवाल, सचिव

MINISTRY OF POWER

(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 21st March, 2016

S.O. 1202(E).—Whereas M/s. Patran Transmission Company Limited, the applicant with its Registered Office at Room No. 409, 4th Floor, Skipper Corner, 88 Nehru Place, New Delhi – 110019 has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of "Transmission System for Patran 400 kV substation" which includes:

(i) Creation of 2x500 MVA, 400/220 kV Substation at Patran.

(ii) LILO of both circuits of existing Patiala- Kaithal 400 kV D/C transmission line at Patran Substation.

And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/15/2013-PG (PTCL-PFC) dated 16th May, 2013 had granted prior approval under sub-section (1) of Section 68 of the Electricity Act, 2003 for construction of "Transmission System for Patran 400 kV Substation" with following scope of works:

(i) Creation of 2×500 MVA, 400/220 kV Substation at Patran.

(ii) LILO of both circuits of existing Patiala- Kaithal 400 kV D/C transmission line at Patran Substation.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for the works.

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following tehsil, taluka, mandal, block, villages, town and city :—

LILO of both circuits of Patiala – Kaithal 400 kV D/C Transmission line at Patran

Sl. No	Name of Village	Tehsil	District
1.	Drauli	PATRAN	PATIALA

400/220 kV GIS substation at Patran

Sl. No	Name of Villages	Tehsil	District
1.	Drauli	PATRAN	PATIALA
2.	Banwala	PATRAN	PATIALA

Now, therefore, after careful consideration, Central Electricity Authority, Government of India confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned inter-state transmission Scheme for inter-state transmission of electricity, namely:—

(i) the approval is granted for 25 years;

(ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of the proposed line;

(iii) the Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc framed under Electricity Act, 2003;

(iv) the Applicant has been entrusted with the responsibility for construction of "Transmission System for Patran 400 KV Substation" with following scope of works:

(i) Creation of 2×500 MVA, 400/220 kV substation at Patran.

(ii) LILO of both circuits of existing Patiala-Kaithal 400 kV D/C transmission line at Patran Substation.

The details of the works are published in the Gazette of India No. 44 dated October 31, 2015 to November 06, 2015;

(v) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States/Central Government;

(vi) the approval is subject to compliance by Applicant of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under;

(vii) M/s Patran Transmission Company Limited will need to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from Aviation and Defence authorities at the time of Electrical Inspection.

[F. No.164/NR/Patran/PSP&PA-I-2016]

P.D. SIWAL, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.